न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 123/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी, पुलिस थाना
सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. घांसीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी सारोठिया पुलिस थाना सुजानगढ़ चूरू
2. खेमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घांसीडा भूंका भगतसिंह पुलिस थाना सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम सैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 03.11.2021 को श्री शुभकरण आरपीएस वृत्ताधिकारी गुडामालानी जिला बाड़मेर ने लिखित रिपोर्ट पेश की गई कि दिनांक 02.11.2021 को श्री बलदेवराम उनि थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी ने जरिये टेलीफोन सूचना दी कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा के निर्देशानुसार मेगा हाईवे पर स्थित होटलों पर संचालित अवैध गतिविधियों एवं बायोडीजल विक्रय/संग्रह के संबंध में चैकिंग के दौरान सरहद भूंका भगतसिंह स्थित संसार होटल के साईड की तरफ खाली जमीन पर दिनांक 02.11.2021 को दौराने गश्त श्री कानाराम हैड कानि 124 मय जाब्ता श्री अमित रति कानि 1629 द्वारा सरहद भूंका भगतसिंह से एक बिना नंबर टैंकर चैसिस नम्बर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

MAT466372A5B01368 खड़ा पाया गया जिसके पास में एक युवक बैठा दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को बावर्दी देखकर मौका से भागने की कोशिश करने लगा। उक्त व्यक्ति को बुलाकर नाम–पता पुछा तो अपना नाम घांसीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी सारोठिया जिला चूरू होना बताया तथा स्वयं को उक्त टैंकर का चालक होना बताया। उक्त टैंकर में भरे तरल पदार्थ के बारे में पूछने पर उसमें पेट्रोलियम पदार्थ होना बताया। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की बिल्टी पर परमिट के बारे में पूछने पर अपने पास नहीं होना बताया। इतने में पास में खडा टैंकर चालक घासीराम पैशाब करने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। जब्तशुदा टैंकर नंबर आरजे 19 जीबी 4259 जिसका चैसिस नंबर MAT466372A5B01368 इंजन नंबर 01B62845896 पर बने टैंकर में भरे हुए पदार्थ को टैंकर का ढक्कन खोलकर चैक किया तो उसमें कुल पांच ढक्कन लगे हुए तथा कुल 10 वाल्व लगे हुए थे जिनसे रिसाव हो रहा था। इस कारण टैंकर में भरे बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नाप करने हेतु पाईप की सहायता से प्लास्टिक की टंकी में खाली किया गया जिसका कुल नाप 3128 लीटर होना पाया गया। उक्त प्लास्टिक की टंकी में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया। उक्तानुसार सीओ गुडामालानी की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0182 दिनांक 03.11.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, टैंकर, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम घांसीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी सारोठिया जिला चूरू द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना तथा संग्रहण करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी घांसीराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 3126.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर नंबर आरजे 19 जीबी 4259 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम घांसीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी सारोठिया जिला चूरू द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना तथा संग्रहण करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण मनगढ़त एवं बेबुनियाद तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। सायल द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर न तो उसके सामने जब्त किया है और न ही किसी प्रकार का माल बरामद किया है। सायल द्वारा बरामद माल से उसका कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में यह भी प्रकट किया कि तथाकथित घटना के दिन वह मौके पर ही मौजूद नहीं था तथा न ही उक्त टैंकर पर चालक के रूप में कार्यरत था। पुलिस ने समस्त कार्यवाही अपनी मनमर्जी से की गई है और उसे गलत रूप से उक्त घटना में संलिप्त किया गया है। अप्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जबकि उसका इस प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण सव्यय खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से जब्तशुदा टैंकर में 3000 लीटर से अधिक मात्रा में बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया है जिसका न तो उसके द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किया गया है और न ही अप्रार्थी इतनी भारी मात्रा में बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ के कब्जे के बारे में कोई ठोस कारण प्रकट कर पाया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 3126.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा टैंकर नंबर आरजे 19 जीबी 4259 जिसका चैसिस नंबर MAT466372A5B01368 इंजन नंबर 01B62845896 पर बने टैंकर में भरे हुए 3126.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये वाहन एवं 3126.500 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर